न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर
बइजलास श्रीमती रीना आर.ए.एस.
अनुवान भगवाना वगैरा बनाम समा वगैरा
दावा अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम
दावा सं. 78/2019
निर्णय दिनांक 25.02.2021

1. भगवाना
2. हरदयाल
3. हरिराम

पुत्रगण बुधाराम जाति मेघवाल निवासी सहजासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान मोबाईल नं. 7014855440

—वादीगण

बनाम्

1. समा पत्नी स्व0 चन्दूराम हाल पत्नी कुशलाराम जाति मेघवाल निवासी बोघेरा तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सरदारशहर जिला चूरू

— प्रतिवादीगण

3. लिछमा पत्नी फूलाराम पुत्री बुधाराम जाति मेघवाल निवासी राजास तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान
4. रेवन्ती पत्नी बालूराम पुत्री बुधाराम जाति मेघवाल निवासी राजास तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान

— गौण प्रतिवादीगण

उपस्थिति —
श्री महेन्द्र कुमार सींवर एडवोकेट वास्ते वादीगण
श्री ओमप्रकाश बेनीवाल प्रतिवादी सं0 1 गौण प्रतिवादीगण सं0 3 व 4
पैरोकार राज

निर्णय

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद का विवरण इस प्रकार से है कि वादीगण एवं गौण प्रतिवादीगण सं0 3 ता 4 के पिता तथा प्रतिवादीनी सं0 1 के पूर्व ससुर बुधाराम के नाम खातेदारी कृषि भूमि हाल ख0 नं0 569/141 रकबा 04.6028 हैक्टेयर रोही सहजासर तहसील सरदारशहर में स्थित रही है। बुधाराम व बुधाराम की पत्नी गौरां के स्वर्गवास के पश्चात उनके नाम की खातेदारी कृषि भूमि का नामान्तरणकरण ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किये जाते समय गौण प्रतिवादीगण सं0 3 व 4 ने अपने नाम की ऐसी भूमि का हकत्याग अपने भाईयों के हक में कर दिये जाने से ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण के आधार पर वादगत कृषि भूमि वादीगण एवं वादीगण के भाई प्रतिवादीनी सं0 1 के पूर्व पति चन्दूराम के नाम ब0हि0ब0 खातेदारी में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई। वादीगण एवं स्व0 चंदूराम एक ही घर में रहकर साथ ही खेती करते थे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Reena
Date: 2021.02.26 13:29:29 IST
Reason: SelfAttested

चंदूराम की शादी के काफी समय बाद भी संतान उत्पन्न नहीं हुई तब चंदूराम व उसकी पत्नी प्रतिवादीनी सं0 1 वादीगण के साथ ही रहने का निश्चय किया। इसी दौरान दिनांक 14.04.2017 को वादीगण के भाई चंदूराम का स्वर्गवास हो गया। चंदूराम का स्वर्गवास हो जाने के बाद कुछ समय तक तो प्रतिवादीनी सं0 1 वादीगण के पास उनके घर में रही। लेकिन बाद में प्रतिवादीनी सं0 1 के लम्बे जीवन को देखते हुए प्रतिवादीनी सं0 1 के पिता ने प्रतिवादीनी सं0 1 का पुनर्विवाह करने का निश्चय किया तब वादीगण ने भी इस बात का समर्थन किया। जिस पर प्रतिवादीनी सं0 1 ने कुशलाराम पुत्र नन्दराम जाति मेघवाल निवासी बोघेरा तहसील सरदारशहर के साथ दुसरा विवाह कर लिया। अब प्रतिवादीनी सं0 1 अपने वर्तमान ससुराल गांव बोघेरा में राजीखुशी रहती है जिसके पास रहने के लिए अच्छा घर व खेती की जमीन भी है। प्रतिवादीनी सं0 1 ने दूसरा विवाह करने से पहले अपने पूर्व पति चंदूराम की चल अचल सम्पति में हिस्सा नहीं लेकर उनकी समस्त चल–अचल सम्पति का मौखिक बंटवारा वादीगण के हक में कर दिया था। उसी अनुरूप वादीगण अपने स्वर्गीय भाई चंदूराम की जायदाद का उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं तथा खेती की जमीन को बांटकर काश्त करते चले आ रहे हैं। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में अब भी प्रतिवादीनी सं0 1 के पति के चंदूराम के नाम 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज चली आ रही है। प्रतिवादीनी सं0 1 ने वादीगण से कहा कि मैं अपने पूर्व पति की जमीन को लेकर कोई विवाद उत्पन्न ना हो जाये इसलिए उक्त जमीन के सम्बन्ध में इकरारनामा/हकत्याग दस्तावेज निष्पादित करवाना चाहती हूं। जिस पर प्रतिवादीनी सं0 1 ने दिनांक 29.08.2019 को तहसील कार्यालय सरदारशहर आकर वादीगण के हक में अपने पूर्व पति के नाम की खातेदारी कृषि भूमि ख0 नं0 569/141 रकबा 4.6028 हैक्टेयर रोही सहजासर का दस्तावेज निष्पादित करवा दिया। प्रतिवादीनी सं0 1 वादगत कृषि भूमि में हिस्सा लेना नहीं चाहती है। इसलिए वादीगण वादगत कृषि भूमि में चंदूराम के हिस्से की 1/4 हिस्सा भूमि ब0हि0ब0 खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाकर राजस्व रिकॉर्ड दूरूस्त करवाने के कानूनी अधिकारी हैं। वादगत कृषि भूमि के सह खातेदार चंदूराम वादीगण तथा गौण प्रतिवादीगण सं0 3 ता 4 का सगा भाई है। चंदूराम का लाऔलाद स्वर्गवास हो गया है। चंदूराम की पत्नी प्रतिवादीनी सं0 1 ने चंदूराम के स्वर्गवास के पश्चात दूसरा विवाह कर लिया है तथा प्रतिवादीनी सं0 1 द्वारा दस्तावेज निष्पादित कर लिखकर दिया है कि वह वादगत कृषि भूमि में कोई हिस्सा नहीं चाहती है इसी प्रकार गौण प्रतिवादीगण सं0 3 व 4 ने पूर्व की भांति चंदूराम की भूमि में हिस्सा नहीं लेने की सहमति दी है। वादीगण हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक चंदूराम के द्वितीय पंक्ति के वारिसान होने से चंदूराम के नाम की खातेदारी कृषि भूमि अपने नाम ब0हि0ब0 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाकर खातेदारी अधिकारों की घोषणा अपने नाम करवाने के कानूनी अधिकारी हैं। वादीगण ने वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त कर चंदूराम के नाम की हिस्सा भूमि वादीगण के नाम ब0हि0ब0 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए प्रतिवादी सं0 2 के समक्ष दिनांक 05.09.2019 को दस्तावेज पेश किये तो प्रतिवादी सं0 2 ने राजस्व रिकॉर्ड दूरूस्त कर इंतकाल दर्ज करने से इनकार कर दिया तब वादीगण ने दिनांक 06.09.2019 को प्रतिवादीनी सं0 1 को तहसील कार्यालय आकर राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Reena
Date: 2021.02.26 13:29:29 IST
Reason: SelfAttested

रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने का कहा एवं कहलवाया तो उसने साथ आकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने से इनकार कर दिया।

इस प्रकार वादीगण ने घोषणात्मक खातेदारी एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत कर ख0 नं0 569/141 रकबा 04.6028 हैक्टेयर रोही सहजासर तहसील सरदारशहर में स्व0 चंदूराम की 1/4 हिस्सा भूमि की खातेदारी वादीगण ब0हि0ब0 अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहा।

वादीगण की ओर से वाद न्यायालय के समक्ष पेश किये जाने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दिनांक 12.09.2019 को दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सशुल्क तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी सं0 1 व गौण प्रतिवादीगण सं0 3 व 4 की ओर से श्री श्री ओमप्रकाश बेनीवाल एडवोकेट उपस्थित हुए और इकबाल जबाब दावा पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। पैरोकार राज द्वारा दिनांक 19.12.2019 को जबाब दावा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अनुतोष के सम्बन्ध में राज पैरोकार द्वारा कोई एतराज जाहिर नहीं किया गया हैं। प्रतिवादी सं0 1 व गौण प्रतिवादी सं0 3 व 4 दावा में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए अपने इकबाल जबाब दावा में अंकित किया है कि दावा वादीगण स्वीकार किया जाता है तो प्रतिवादी सं0 1 व गौण प्रतिवादी सं0 3 व 4 को आपति नहीं है और अपनी सहमति वादीगण के हक में दी। किसी भी पक्षकार द्वारा दावा का खण्डन नहीं किये जाने से तनकी विरचित नहीं की गई और पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादीगण मुकर्रर की गई। बतौर साक्ष्य PW-1 भगवाना ने दिनांक 29.09.2020 को अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया और अपने बयान लेखबद्ध करवाये और दस्तावेज प्रदर्श–1 जमाबन्दी, प्रदर्श–2 कुर्सीनामा, प्रदर्श–3 इकरारनामा प्रदर्शित करवाये।

बहस पक्षकारान सुनी गई। वकील वादीगण ने अपने दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि वादीगण के भाई चन्दूराम का लाऔलाद स्वर्गवास दिनांक 14.04.2017 को हो जाने के पश्चात चन्दूराम की पत्नी प्रतिवादी सं0 1 समा ने कुशलाराम पुत्र नन्दराम जाति मेघवाल निवासी बोघेरा तहसील सरदारशहर के साथ दूसरा विवाह कर लिया और चन्दूराम के हिस्से की 1/4 हिस्सा भूमि वादीगण के हक में परित्याग करते हुए दस्तावेज इकरारनामा प्रदर्श–3 निष्पादित कर दे दिया। इस तथ्य की पुष्टि प्रतिवादी सं0 1 ने अपने इकबाल जबाब दावा में भी की है। वादीगण व गौण प्रतिवादी सं0 3 व 4 चन्दूराम के द्वितीय पंक्ति के वारिसान है। गौण प्रतिवादी सं0 3 व 4 ने अपने हिस्से की भूमि का परित्याग वादीगण के हक में करने के तथ्य अंकित करते हुए अपना इकबाल जबाब दावा पेश किया है। इस प्रकार गौण प्रतिवादी सं0 3 व 4 ने वादगत भूमि में अपना हिस्सा लेने के लिए कोई मांग नहीं की है। इस कारण वादग्रस्त कृषि भूमि में चन्दूराम की 1/4 हिस्सा भूमि को वादीगण ब0हि0ब0 प्राप्त करने का अधिकारी है। अधिवक्ता वादीगण का यह भी तर्क रहा कि वादीगण के दावा के सम्बन्ध किसी भी पक्षकार ने कोई उज्र आपति नहीं की है और वादीगण अपने दावा में वर्णित तथ्यों को प्रमाणित करने में पूर्णतया सफल रहे हैं और दावा वादीगण डिक्री किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Reena
Date: 2021.02.26 13:29:29 IST
Reason: SelfAttested

वकील पक्षकारान के तर्कों का ध्यानपूर्वक मनन किया गया और पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा प्रतिवादीगण के जबाब दावों एवं राज पैरोकार के जबाब दावा में उल्लेखित तथ्यों पर मनन किया गया। हस्तगत वाद में प्रतिवादी सं0 1 के पति चन्दूराम के हिस्से की भूमि को लेकर ही मुख्य विवाद है। प्रतिवादी सं0 1 मृतक चन्दूराम की इकलौती वारिस है जिसने दूसरा विवाह कर लिया है और पूर्व पति के हिस्से की भूमि वादीगण के हक देने का जबाब न्यायालय में पेश किया है और दस्तावेज प्रदर्श–3 इकरारनामा भी लिखकर दिया हुआ है। गौण प्रतिवादी सं0 3 व 4 ने भी चन्दूराम की हिस्सा भूमि में अपना हिस्सा लेने से मना कर दिया है। इसलिए वादीगण ही वादगत भूमि में चन्दूराम के 1/4 हिस्सा भूमि के हकदार है। वादीगण अपना दावा प्रमाणित करने में पूर्णत सफल रहे हैं। जिसकी पुष्टि दस्तावेजी साक्ष्य व इकबाल जबाब दावा से भी होती है। उक्त दावा के तथ्यों का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया और राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन करने पर इकबाल जबाब दावा के आधार पर निर्णित करना उचित समझती हूं एवं वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूं।

आदेश

वर्णित विवेचन से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है फलस्वरूप वाद स्वीकार किया जाता है और प्रतिवादी तहसीलदार सरदारशहर को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि ख0 नं0 569/141 रकबा 04.6028 हैक्टेयर रोही सहजासर तहसील सरदारशहर में स्व0 चंदूराम की 1/4 हिस्सा भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम ब0हि0ब0 राजस्व रिकॉर्ड दर्ज की जावे। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड अमलदरामद किया जावे। उपरोक्त निर्णय एवं आदेशानुसार प्रतिवादी सं0 02 को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करे एवं निर्णय आदेश की पालना करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(रीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Signature Not Verified
Digitally signed by Reena
Date: 2021.02.26 13:29:29 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 25.02.2021 [illegible] हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

डिक्री ब मुकद्देमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20,रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर जिला चूरू
पीठासीन अधिकारी– श्रीमती रीना (आर.ए.एस.)
अनुवान भगवाना वगैरा बनाम समा वगैरा
दावा अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम
दावा सं. 78/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री महेन्द्र कुमार सींवर एडवोकेट मिनजानिब मुदई हाजरी श्री ओमप्रकाश बेनीवाल एडवोकेट मिनजानिब मुदायलाह पैरोकार राज मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है तथा वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता है कि कृषि भूमि ख0 नं0 569/141 रकबा 04.6028 हैक्टेयर रोही सहजासर तहसील सरदारशहर में स्व0 चंदूराम की 1/4 हिस्सा भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम ब0हि0ब0 राजस्व रिकॉर्ड दर्ज की जावे। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड अमलदरामद किया जावे। उपरोक्त निर्णय एवं आदेशानुसार प्रतिवादी सं0 02 को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करे एवं निर्णय आदेश की पालना करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

.....

.....बीज.....मुबलि .....

बाबत ..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .....

... फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .....

..... को अदा करें। मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25 माह 02 सन् 2021 को जारी की गई।

दस्तखत.....

मुहर

ओहदा .....

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाहा	रूपया	पै.
स्टाम्प अरर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	04	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	02	00	स्टाम्प वजह सबूत	00	00
महनताना वकील	00	00	महनताना वकील	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	फीस कमिष्नर	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	बाबत इजराय	00	00
मुतफर्रिक	00	00	हुक्मनामा	00	00

Signature Not Verified
Digitally signed by Reena
Date: 2021.02.26 13:09:29 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2021.02.26 13:29:29 IST
Reason: SelfAttested